

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय

52

// आदेश //

—00—

रायपुर, दिनांक: 21/03/2012

क्रमांक एफ 10-1/2011/16- राज्य शासन एतद् द्वारा श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 नियम 1984 के अंतर्गत दिनांक 01.01.2011 से प्रति छ. माही अर्थात् जनवरी से जून एवं जुलाई से दिसम्बर के लिये निम्नानुसार अभिदाय वृद्धि किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है:-

श्रमिक अभिदाय राशि रुपये	नियोजक अभिदाय राशि रुपये	न्यूनतम अभिदाय रुपये
रुपये 15/-	रुपये 45/-	रुपये 1500/-

2/ यह स्वीकृति वित्त विभाग में यू.आ. क्रमांक 133/00002791/4-1/चार दिनांक 02.03.2012 द्वारा दी गई सहमति से जारी की जा रही है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(हस्ताक्षर)

(आर.के.स्वस्तिक)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग,
रायपुर, दिनांक: 21/03/2012

पृ० क्रमांक एफ 10-1/2011/16.

प्रतिलिपि -

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्राजी श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर, (छ०ग०)
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
3. महालखाकार, रायपुर (छ०ग०)
4. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर, (छ०ग०)
5. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर (छ०ग०)
4. अध्यक्ष, छ.ग. श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ०ग०)
5. कल्याण आयुक्त, छ०ग० श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ०ग०)
7. काषालय अधिकारी, जिला काषालय, रायपुर (छ०ग०)
8. उपसंचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनादगाव की ओर प्रेषित कर लख है कि इस माह के राजपत्र में प्रकाशन कर 25 प्रति इस विभाग को एवं 25 प्रति छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, 7, कंलाश रंसीडेंसी, गीताजलि नगर, मीरादातार रोड, रायपुर, को प्रेषित करने का कष्ट करे। की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रपि

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

31-3-12